न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मो० शफीक (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या––––1063/2021

सी०एन०आर०नं०–UPSD070000502021

राज्य   बनाम

1. हमजद उर्फ अमजद अली पुत्र अब्दुल मोबिन
2. झिन्नन उर्फ मुस्तकीम पुत्र घूरे
3. अब्दुल अजीज अहमद पुत्र मो० वकील
4. सैय्याद उर्फ सज्जाक पुत्र लाल खां
5. नूरूलहुदा पुत्र मजीद
6. मुख्तार अहमद पुत्र लाल खां
7. राजू उर्फ ईबाद अहमद पुत्र मुस्तफा
8. अफरोज आलम पुत्र अजीज अहमद

निवासीगण ग्राम केरवनिया, थाना मिश्रौलिया
जनपद सिद्धार्थनगर।

मु०अ०सं०–187/2019

अन्तर्गत धारा–308/149, 147, 148, 323,
325 व 504 भा.दं.सं.

थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता:–श्री तमन्ना हैदर रिजवी (एडवोकेट)

राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक):–श्री ईश्वर चन्द्र दूबे

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–1063/2021, सरकार बनाम हमजद उर्फ अमजद व अन्य, मु.अ.सं.–187/2019, धारा–308, 147, 148, 323, 325 व 504 भा.दं.सं. में अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम के विरुद्ध पुलिस थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. उपरोक्त सत्र परीक्षण संख्या–1063/2021, सरकार बनाम हमजद उर्फ अमजद व अन्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक–28.09.2021 को सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरान्त जिला जज महोदय द्वारा अन्तरण के बाद प्राप्त हुआ।

घटना की तिथि व समय	अभियोग पंजीकृत होने की तिथि व समय	आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि	आरोप विरचन की तिथि
21.12.2019 समय 00.00 बजे	दिनाँक–1 21.12.2019 समय 14.25 बजे	दिनाँक– 20.01.2020	दिनाँक–15.11.2021

03. अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्य **प्रदर्श क–1** के अनुसार इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शरीफ हसन पुत्र गुद्दर, साकिन केरवानिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है। उसके घर के सामने विवादित जमीन था और उस जमीन में उसके गाँव के हमजद पुत्र मोबिन, झिन्नन पुत्र घूरे, अब्दुल अजीज पुत्र वकील, सैय्याद पुत्र लाल खां, नुरूलहुदा पुत्र मजीद, मुख्तार पुत्र लालखां, राजू पुत्र मुस्तफा व अफरोज पुत्र अजीज मिट्टी पटवाने के बहाने उसके घर में गाली गुप्ता देते हुए फरसा, लाठी, भाला व कोयता से उसे मारने लगे। तब उसकी पत्नी साकिया बीच बचाव करने आयी तो उसके सिर पर कोयता से मार दिये। उस समय उसका बड़ा लड़का सिराज अहमद चौराहे से आया तो उसे भी मारने लगे और उसकी पत्नी साकिया के कान का झाला व नाक का कील नोच लिये तथा 12 तोला का चेन छीन लिये तथा घर में घुसकर सामान आदि उठा ले गये।

04. उक्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना–मिश्रौलिया में मु.अ.सं.–187/2019, धारा–395 व 504 भा.दं.सं. में अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली पुत्र अब्दुल मोबिन, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम पुत्र घूरे, अब्दुल अजीज अहमद पुत्र मो० वकील, सैय्याद उर्फ सज्जाक पुत्र लाल खां, नूरूलहुदा पुत्र मजीद, मुख्तार अहमद पुत्र लाल खां, राजू उर्फ ईबाद अहमद पुत्र मुस्तफा व अफरोज आलम पुत्र अजीज के विरुद्ध दिनाँक–21.12.2019 समय 14.25 बजे पंजीकृत हुआ।

05. मामले के विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल व बयान चिकित्सक तथा अवलोकन एक्सरे व सी.टी. स्कैन रिपोर्ट (चोटहिल साकिया) आदि के आधार पर मामले में आरोप पत्र धारा–308, 147, 148, 323, 325 व 504 भा.दं.सं. विरूद्ध अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम के विरुद्ध न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया।

06. अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम जमानत पर हैं।

07. विद्वान पूर्वाधिकारी सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक–15.11.2021 को अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम के विरुद्ध धारा–308/149, 147, 148, 323, 325 व 504 भा.दं.सं., थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर में

आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया और परीक्षण की मांग की गयी।

08. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार है –

क– मौखिक साक्ष्य–

पी०डब्लू०–1	शरीफ हसन (वादी मुकदमा)/मजरूब
पी०डब्लू०–2	सिराज (मजरूब)
पी०डब्लू०–3	शाफिया उर्फ साकिया (मजरूबा)
पी०डब्लू०–4	चिकित्सक बृजभूषण
पी०डब्लू०–5	चिकित्सक सी.वी. चौधरी
पी०डब्लू०–6	उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव (विवेचक)
पी०डब्लू०–7	कां०मो० ओमप्रकाश यादव (एफ.आई.आर.लेखक)
पी०डब्लू०–8	चिकित्सक राजीव रंजन (रेडियोलाजिस्ट)
पी०डब्लू०–9	रजनीश कुमार वर्मा (सी.टी.स्कैन प्रभारी जिला अस्पताल, सिद्धार्थनगर)

ख– दस्तावेजी साक्ष्य–

प्रदर्श संख्या		जिसके द्वारा साबित किया गया है।
प्रदर्श–क–1	लिखित तहरीर (वादी मुकदमा शरीफ हसन)	पी.डब्लू.1
प्रदर्श–क–2	आघात आख्या साकिया (मजरूबा)	पी.डब्लू.4
प्रदर्श–क–3	आघात आख्या सिराज अहमद (मजरूब)	पी.डब्लू.4
प्रदर्श–क–4	आघात आख्या शरीफ हसन (मजरूब)	पी.डब्लू.4
प्रदर्श–क–5	सी.टी. स्कैन रिपोर्ट साकिया (मजरूबा)	पी.डब्लू.5
प्रदर्श–क–6	इलाज पर्ची साकिया (मजरूबा)	पी.डब्लू.5
प्रदर्श–क–7	नक्शा नजरी घटना स्थल	पी.डब्लू.6
प्रदर्श–क–8	आरोप पत्र	पी.डब्लू.6
प्रदर्श–क–9	चिक एफ.आई.आर.	पी.डब्लू.7
प्रदर्श–क–10	कायमी जी.डी.	पी.डब्लू.7
प्रदर्श–क–11	मेडिकोलीगल रिपोर्ट शरीफ हसन (मजरूब)	पी.डब्लू.8
प्रदर्श–क–12	मूल रजिस्टर की छायाप्रति	पी.डब्लू.9

ग–वस्तु प्रदर्श

प्रदर्श संख्या		जिसके द्वारा साबित किया गया

		है।
वस्तु प्रदर्श–1	एक्सरे प्लेट संख्या–1178	पी.डब्लू.8

09. अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक–13.02.2024 को अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम का बयान धारा–313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। धारा–313 दं.प्र.सं. के परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम ने गवाहान के बयानात के संबन्ध में यह कहा कि झूठा बयान दिये हैं। पुलिस के औपचारिक साक्षीगण के बयान के सम्बन्ध में कहा कि कारगुजारी में दिया गया बयान है तथा गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा चिकित्सक के बयान के सम्बन्ध में कहा गया कि कारगुजारी मे दिया गया बयान है। रास्ते में सरकारी मिट्टी को गिराने की रंजिश को लेकर झूठा मुकदमा लिखा दिया गया है। बचाव साक्ष्य देना बताया गया है।

10. बचाव पक्ष द्वारा न्याय दृष्टांत Shiv Raj Singh & Ors. Vs. State 2014(2) JIC 564 (All.) व Reoti & ors. Vs. State of U.P. 1998 JIC 430 (All.) की छायाप्रतियाँ तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रुप में फेहरिस्त सूची सबूत कागज संख्या–94 ख से 95 ख/2 ता 95 ख 3 चिक एफ.आई.आर., कागज संख्या–95 ख/4 लिखित तहरीर, कागज संख्या–96 ख/2 मेडिकल रिपोर्ट अफरोज, कागज संख्या–96 ख/4 मेडिकल रिपोर्ट सैय्याद, कागज संख्या–96 ख/6 मेडिकल रिपोर्ट रोजा खातून, कागज संख्या–97 ख/2 मेडिकोलीगल रिपोर्ट रोजा खातून, कागज संख्या–98 ख/2 मेडिकल रिपोर्ट जावेद, कागज संख्या–99 ख/2 नक्शा नजरी घटना स्थल, कागज संख्या–100 ख/2 ता 100 ख/8 आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ तथा कागज संख्या–101 ख/1 ता 101 ख/2 रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक, इटवा, कागज संख्या–101 ख/2 स्थल ज्ञाप, कागज संख्या–103 ख प्रार्थना पत्र तहसील दिवस, कागज संख्या–104 ख प्रार्थना पत्र अमजद की दाखिल की गयी हैं।

अभियोजन व बचावपक्ष के द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण और मूल्यांकन से पूर्व यह उचित प्रतीत हो रहा है कि अभियोजन पक्ष के मौखिक साक्षियों के अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया जाए।

11. अभियोजन **साक्षी पी.डब्लू–1** शरीफ हसन (मजरूब) वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि उसके घर के सटे पूरब तरफ को मुल्जिमान का कच्चा रास्ता जाता है। उसी रास्ते में उसके गाँव के अजीज, अफरोज, अमजद, झिन्नू, नुरूलहुदा, राजू उर्फ आबाद, मुख्तार, सैय्यद उर्फ सज्जाद उपरोक्त लोग ग्यारह–साढ़े ग्यारह बजे के लगभग मिट्टी पाट रहे थे। उसने उन लोगों से कहा कि रास्ते में क्यों मिट्टी पाट रहे हो,सामने वाले रास्ते में मिट्टी डालकर पाटो। इतने में उन लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू किया कि क्यों मना कर रहे हो। अमजद के हाथ में फरसा, अजीज के हाथ में लाठी, अफरोज

के हाथ में बोगदा था। उन लोगों के द्वारा उसके हाथ व पैर पर मारकर घायल कर दिये तथा उसका हाथ तोड़ दिये। उसके शरीर पर बहुत चोटें आयी। उसकी पत्नी उसे दौड़कर बचाने आयी तो उसे भी मारना पीटना शुरू कर दिये, जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गयी। हम लोगों के शोर गुल पर कैसरून्निशा व अबरून्निशा बीच बचाव करने के लिए आयी और बीच बचाव की। तब वह अपने घर में घुसा तो पीछे से उपरोक्त मुल्जिमान उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के कान का बाला, कान की कील व चैन छीन लिये। थाने पर अपनी पत्नी व लड़के को ले जाकर उपरोक्त मुल्जिमानों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया। उसने असल तहरीर गाँव के एक व्यक्ति से लिखवाकर थाना पर दिया था। साक्षी को असल तहरीर कागज संख्या–5 क पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही वह तहरीर है, जिसे उसने लिखवाकर अपना निशानी अंगूठा लगवाकर थाना पर दिया था। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

11.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.1** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि जो उसके घर के पूरब रास्ता है, वह उसका प्राइवेट रास्ता है। आम रास्ता नहीं है, जो उसका रास्ता है, वह ग्राम समाज की जमीन में है। उसने यह रास्ता नहीं बनवाया था, बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। उसने उस पर मिट्टी डलवाया था। उसके घर के सामने बंजर है। साक्षी को धारा–161 दं.प्र.सं. के बयान में अंकित है कि "हमारे घर के सामने मकान सहन जमीन से सटे पूरब सरकारी कच्चा रास्ता है।" यह बयान विवेचक को उसने नहीं दिया था। विवेचक को उसने यह भी बयान नहीं दिया था कि रास्ते से सटे पूरब खलिहान की जमीन है। उसने विवेचक को यह भी बयान नहीं दिया था कि उसके घर के सामने कच्चा रास्ता है। इस रास्ते को बनवाने को लेकर मुल्जिमान ने कोई दरख्वास्त नहीं दिया था और न ही मौके पर लेखपाल व कानूनगो आये थे। इस रास्ते को लेकर इस मुकदमें के पहले कोई विवाद नहीं हुआ था। उसके सात लोगों के खिलाफ जो रपट दर्ज करायी गयी है, वह अमजद आदि ने करायी होगी। वह घटना के दिन थाने पर रपट दर्ज कराने बारह बजे गया था। जब वह रपट दर्ज कराने गया था तो वहाँ आठों मुल्जिमान भी थाना पर मौजूद थे। उसे यह नहीं मालूम है कि उसका रपट पले दर्ज हुआ था या उन लोगों का रपट पहले दर्ज हुआ था। उसकी डॉक्टरी पहले खुनियाव में हुई, उसके बाद डॉक्टर द्वारा रेफर करने के बाद सिद्धार्थनगर में हुई। साकिया व उसके लड़के सिराज की डॉक्टरी सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में हुई थी। उसे डॉक्टरी के लिए जिला पर रेफर किया गया था। सिराज को भी जिला पर रेफर किया गया था। साकिया को जिला से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। सेराज की डॉक्टरी खुनियाव में नहीं हुई थी। उन लोगों की डॉक्टरी के समय पुलिस उन लोगों के साथ में थी। साकिया की डॉक्टरी जो जिले पर हुई थी, उसको पुलिस लेकर आयी थी। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि साकिया की डॉक्टरी पुलिस अभिरक्षा में नहीं हुई थी। इस साक्षी ने इस बात से इन्कार किया कि जिला चिकित्सालय,सिद्धार्थनगर में साकिया की प्राइवेट डॉक्टरी उसने करायी थी। इस साक्षी ने इस बात से इन्कार किया कि इस घटना के पूर्व वह फिसलकर गिर गया था, जिससे उसके हाथ क्रेक हो गया था। इस साक्षी ने इस बात से इन्कार किया कि साकिया की डॉक्टरी उसने पैसा देकर फर्जी करवाया था। मुल्जिम

पक्ष को किसी को चोट नहीं लगी थी। वह मुल्जिमान को घर में घुसकर लाठी डण्डा हथियार से लैस होकर मिट्टी डालने से मना करते हुए जावेद, अफरोज, राजू व सैय्याद उर्फ सज्जाद को नहीं मारापीटा था। बांसी में इस विवाद के सम्बन्ध में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमें में उसकी जमानत हो गयी है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि विवेचक को अनुचित प्रभाव में करके धारा-308 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी करायी है। इस साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

12. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू-2** सिराज (मजरूब) ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि घटना दिनाँक-21.12.2019 समय दिन में 11.30 बजे का था। वह कुसुम्ही चौराहा गया हुआ था। कुसुम्ही चौराहे से जब वह घर आया तो देखा कि उसके माता पिता को अमजद, अजीज, सैय्याद, मुख्तार, राजू उर्फ आबाद, नुरूलहुदा, झिन्नू व अफरोज लाठी-डण्डा व भाला फर्सा से मार रहे थे और माँ बहन की भद्दी-भद्दी गाली दे रहे थे, वह बचाने गया तो मुल्जिमान उसको भी मारने लगे, जिससे उसका सिर फूट गया और ऊँगली पर तथा कई जगह शरीर पर चोट लगा, चार-पाँच जगह चोट लगा। उसके शोर पर तमाम लोग आ गये, जिसमें कैसरुन्निसा, अबरून्निशा आदि तमाम लोग आ गये। उसके घर के सामने मिट्टी पाट कर रास्ता बनाने के कारण उसके पिता शरीफ हसन के मना करने पर मुल्जिमानों ने मारा पीटा है। उसके पिता को चोट लगी थी। उसकी माँ के सिर की हड्डी टूट गयी थी। हम तीनों लोग घायल हो गये थे। उसके माता के कान से सोने की बाली, गले से चैन छीन ले गये थे। फिर हम सभी चोटहिल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर मिश्रौलिया थाना ले गये, एक आदमी पीछे बैठकर पकड़ा था व थाने पर दरख्वास्त दिया था, जिस पर मिश्रौलिया थाने के पुलिस द्वारा हम तीनों चोटहिलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुनियांव ले जाकर डॉक्टरी मुआयना कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक द्वारा उसके माता पिता को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। जहाँ उसके पिता जीका दवा इलाज हुआ और उसके माताजी को लखनऊ रेफर कर दिया गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

12.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.2** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि जिस समय की ये घटना है। उसके मकान के सामने सहन जमीन खाली पड़ी हुई थी। जो कच्चा रास्ता सड़क से निकलकर गाँव में जाता है, वहीं पर विवाद हुआ था। अब उसी रास्ते पर प्रधान द्वारा रास्ते का निर्माण करा लिया गया है। झगड़े के वक्त वह कुसुम्ही चौराहे पर था। उसके घर से कुसुम्ही चौराहा करीब 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे किसी ने कुसुम्ही चौराहे पर घर पर झगड़ा की सूचना नहीं दी थी, बल्कि वह स्वयं लौटकर आ रहा था। वह कुसुम्ही चौराहे पर करीब एक घण्टा था। जब वह पहुँचा तो मारपीट की घटना हो रही थी। उस झगड़े में उसके तरफ के तीन लोगों को चोटें आयीं थीं। अमजद वगैरहा की तरफ से किसी को चोट नहीं आयी थी। पहले थाने पर गया था। थाने से हम लोग पुलिस की साधन से गये थे। अमजद की तरफ से भी कुछ लोग खुनियाव अस्पताल पर गये थे, लेकिन अपनी गाड़ी से गये थे। मुल्जिमान पहले से खुनियाव अस्पताल गये थे। पहले अमजद के लोगों की डॉक्टरी हुई थी। उसके बाद हम लोगों की डॉक्टरी हुई थी। वह व उसकी माँ तथा पिता तीनों लोग एक साथ खुनियाव अस्पताल पर थे। जब

वह थाने पर गया तो उस समय भी उसके माता–पिता उसके साथ थे। जब हम लोग थाने पर गये थे तो मुल्जिमान में से केवल अब्दुल अजीज थाने पर थे, उसने इनको थाने पर देखा था। उसने जो अभी बयान दिया है कि उसकी माता जी को खुनियाव से लखनऊ रेफर किया गया ता, वह सही है। जिल पर उसकी माँ को लेकर वह और उसके मामा गये थे तथा पिता जी नहीं गये थे। जब वह और उसके मामा उसकी माँ को लेकर अस्पताल गये थे तो पुलिस भी साथ गयी थी। जिला अस्पताल पर माँ की पर्ची भी बनवाये थे। इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसकी माँ की पर्ची जिला अस्पताल पर दिनाँक–24.12.2019 को बनवाया था। इस साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उसके पिता जी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इऩ्कार कियाकि जिले पर जो चिकित्सीय परीक्षण करवायागया, वह प्राइवेट है, न कि पुलिस मेडिकोलीगल है। जो मुल्जिमान मिट्टी पाट रहे थे, वह उसके घर के पूरब है और प्रधान ने जो रास्ता बनवाया है, वह भी उसके घर के पूरब है। इस झगड़े के सम्बन्ध में उसके व उसके पिता के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। जो उसकी पत्नी के खिलाफ चुनाव जीती है, उनका नाम नुरैन पत्नी मुर्सरफ उर्फ सरफुद्दीन है, जो अमजद के मामा भी है और अमजद के भाई के ससुर भी है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इऩ्कार किया कि झगड़े की बात सुनकर जल्दबाजी में बुलेट से घर आते वक्त गिर जाने के कारण उसे हल्की फुल्की चोटें आयीं थीं। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से भी इन्कार किया कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी, वह घटना के 10–15 मिनट बाद घऱ पहुँचा था। साक्षी को धारा–161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने पिता द्वारा घर में घुसकर मारने पीटने व अन्य घटना कारित करने के तथ्य से इन्कार किया गया और यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, वह इसकी वजह नहीं बता पायेगा।

13. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–3** साफिया उर्फ साकिया (मजरूबा) ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि घटना हुए तीन साल हो गया। दिन के 10.00–11.00 बजे के करीब मारपीट हुआ था। मुल्जिमान अमजद, मुस्तकीम, सैय्याद, मुख्तार, नुरूलहुदा, अजीज, अफरोज ये सब लोग मिट्टी लेकर आये और उसके दरवाजे पर गिराने लगे। तब उसके पति शरीफ हसन ने मिट्टी दरवाजे पर गिराने से मना किया। इतने पर मुल्जिमान गाली गुप्ता देने लगे, जिस पर मना करने पर मुल्जिमान लाठी, फर्सा व बरक्षा लेकर आये और शरीफ हसने को मारने लगे। वह बचाने गयी तो उसे भी अमजद ने फर्सा से उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया था और काफी खून निकल रहा था। उसके बाद इसी बीच उसका लड़का सिराज अहमद शोर सुनकर पहुँच गया तो मुल्जिमान उसे भी लाठी डण्डा से बहुत मारे और जान से मारने की धमकी देने लगे। उसका तीन तोले का सोने का चैन, एक तोला कान का बाला तथा नाक की कील भी छीन लिये थे। घर में घुसकर जेवरात और जो कुछ पाये सब उठा ले गये थे। हम तीनों चोटहिल थाने पर गये। थाने पर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुनियांव ले गये। जहाँ उसका इलाज और डॉक्टरी मुआयना हुआ और फिर डॉक्टर की सलाह पर जिला अस्पताल नौगढ़ ले गये और वहाँ पर उसका व उसके पति का दवा इलाज हुआ था। वही पर उसके सिर का सिटी स्कैन भी हुआ था। सिटी स्कैन के बाद उसके सिर की हड्डी टूटी हुई पायी गयी थी। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

13.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.3** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि मुल्जिमान उसके घर के सामने दरवाजे पर मिट्टी पाट रहे थे। कच्चे रास्ते पर उसके घर के सामने मिट्टी नहीं पाट रहे थे। ये एस.डी.एम. व तहसीलदार के आदेश के बिना मिट्टी पाट रहे थे। जब मिट्टी पाट रहे थे तब वह और उसके शौहर ओसारे में थे। दरोगा जी ने उससे पूछताछ नहीं किया था। दोबारा कहा कि दरोगा जी ने पूछताछ की थी। साक्षी को धारा–161 दं.प्र.सं. में अंकित बयान "उसके घर के सामने जो कच्चा रास्ता गाँव में गया है, उसी कच्चें रास्ते पर मुल्जिमान मिट्टी पाट रहे थे। उसके घर के सामने मकान सहन जमीन से सटे कच्चा रास्ता है। रास्ता से सटे खलिहान की जमीन है।" यह बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया था। "विपक्षीगण द्वारा न ही उसके घर में घुसकर मारापीटा ही गया और न ही उसका कोई सामान ही लिया और न ही गायब ही हुआ है, जो सही है वही बयान में आपको बता दी हूँ।" ऐसा बयान उसने विवेचक को नहीं दिया था। ऐसा बयान विवेचक ने कैसे लिख लिया, वह नहीं बता पायेगी। सफाक उसके देवर है। वह फारूक उर्फ पप्पू को जानती है वह उसके गाँव के है। गुलाम अली व शमसुल्लाह, तुलिसियापुर के उसके रिश्तेदार है। टेउवाग्राण्ट के इबाद भी उसके रिश्तेदार है। ये लोग झगड़े के समय उसके घर पर नहीं आये थे। झगड़ा सुनकर भी उसके घर नहीं आये थे। थाने पर वह, उसके पति और उसका बेटा भी था। मुल्जिमानों को भी उसने थाने पर देखा था। थाने पर आधा घण्टा या एक घण्टा थी। अस्पताल पर मुल्जिमान अजीज, जावेद, अफरोज, सैय्याद को उसके सामने पुलिस अस्पताल पर नहीं लेके गयी थी। वह चारपहिया गाड़ी से खुनियाब अस्पताल पर गयी थी। साथ में पुलिस भी गयी थी। उस पार्टी के किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी थी। अस्पताल पर झगड़े वाले दिन शाम को अस्पताल पर गयी थी। दो दिन के बाद जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर गयी थी। जिला अस्पताल रिश्तेदार व शौहर के साथ गयी थी। जिला पर उसका व उसके पति शरीफ हसन दोनों की डॉक्टरी हुई थी। डॉक्टर ने जिला अस्पताल पर कहाँ–कहाँ चोट लगी थी, नहीं पूछा थाा। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि इसी सब रंजिश की वजह से झूठा फंसायी है। इस साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया कि वह झूठी गवाही दे रही है।

14. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–4** चिकित्सक ब्रजभूषण ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–21.12.2019 को पुलिस कां० अर्जुन यादव, थाना मिश्रौलिया, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा **चोटहिल शरीफ हसन** पुत्र गुद्दर, सिराज अहमद पुत्र शरीफ हसन, साकिया पत्नी शरीफ हसन,साकिनान केवटिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर को दवा इलाज व आघात आख्या हेतु प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम चोटहिल शरीफ हसन की पहचान स्वरूप गर्दन पर बायें तरफ तिल का निशान दर्ज किया गया। चोटहिल के बाह्य परीक्षण में निम्न चोटें पायी गयी।

1. दाहिने हाथ के हथेली के पृष्ठ भाग पर 1.5x2.0 सेमी. की खरोंच के निशान पाये गये, जो अंगूठे के पास थी।
2. दाहिने हाथ की हथेली के पृष्ठभाग पर कलाई से 04.00 सेमी नीचे ऊँगली की तरफ मध्य में 2.00x01.00 सेमी. खरोंच के घाव पाये गये।
3. दाहिने हाथ की हथेली के पृष्ठ पर ही मध्यमा ऊँगली के जोड़ पर 1.5x1.00 सेमी. खरोंच का घाव

पाया गया।

4. दाहिने हाथ की कलाई से 04.00 सेमी. ऊपर अन्दर की तरफ 01.00x01.00 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया।
5. दाहिने हाथ की कलाई से ऊपर 07.00 सेमी. x 06.00 सेमी. का सूजन पाया गया, जिसे चोटहिल द्वारा काफी दर्द बताया गया।
6. दाहिने हाथ की हथेली के पृष्ठ भाग पर 12.00x08.00 सेमी. का सूजन पाया गया, जिसमें भी चोटहिल द्वारा काफी दर्द बताया गया।

चोट संख्या–5 व 6 विशेषज्ञ राय के लिए जिला अस्पताल, सिद्धार्थनगर में रेफर कर दिया गया तथा एक्सरे के लिए भी सलाह दिया गया।

चोटहिल सिराज अहमद के पहचान स्वरूप गले के मध्य में काला तिल दर्ज किया गया। तत्पश्चात चोटहिल सिराह अहमद की चोट का परीक्षण उसके द्वारा किया गया।

1. भौंह से 9.5 सेमी. ऊपर सिर में बायीं तरफ 3.5x0.5 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया।
2. बायें हाथ के अंगूठे में दर्द की शिकायत पायी गयी।
3. बाये स्केपुला के ऊपरी भाग में कन्धे के पास दर्द की शिकायत पायी गयी।

चोटहिल साकिया के पहचान स्वरूप गर्दन में बायें तरफ काला तिल का निशान पाया गया। चोटहिल साकिया के चोटों के परीक्षण में निम्न चोटें पायी गयी।

1. भौंह से 08.00 सेमी. ऊपर सिर में दाहिने तरफ 5.5 सेमी. x 1.00 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया।
2. बायें पैर की जाँघ में दर्द की शिकायत पायी गयी।

सभी तीनों चोटहिल की चोटें ताजा पायी गयी, जो कठोर व कुन्द वस्तु से चोट कारित किया जाना प्रतीत हो रहा था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8क/1, 8क/2 व 8क/3 आघात आख्या संलग्न पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि ये तीनों आघात आख्या उसके द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया है, जिस पर उसका हस्ताक्षर है। इसकी वह पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3** व **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.4** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि साकिया जब उसके पास चिकित्सीय परीक्षण के लिए आयी थी, तो पूरे होशो हवाश में थी। चोट संख्या–1 फटा हुआ चोट पाया गया था, उस चोट में खून दिखाई दिया था। साकिया की दूसरे नम्बर की चोट नहीं दिखी थी। दर्द की शिकायत बतायी थी। उसके राय में साकिया को आयी चोटें साधारण प्रकृति की थी। उसे चोट संख्या–1 के लक्षण को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इसे एक्सरे परीक्षण के लिए रेफर किया जाये। इसलिए इसे विशेषज्ञ परीक्षण के लिए रेफर नहीं किया गया। साकिया कि चोटें दीवाल में लगे किसी कठोर सामान से टकराने से आ सकती है। सिराज के शरीर पर एक चोट देखी गयी थी, जो सिर के बायीं तरफ थी। इसके अतिरिक्त चोट संख्या–2 व 3 की चोट दिखाई नहीं दी थी। चोटहिल ने दर्द की

शिकायत की थी, जो चोटहिल के बताने के आधार पर ही अंकित किया गया था। साकिया और सिराज दोनों की चोटें साधारण प्रकृति की थी। **प्रदर्श क–4** में शरीफ हसन को तीन चोटें खरोच की हैं। तीनों दाहिने हथेली के पृष्ठ भाग पर है। ये चोटें घसीटने से आ सकती है। सभी चोटें उसकी राय में साधारण किस्म की पायी गयी थी। उसके द्वारा चोट संख्या–5 व 6 एक्सरे के लिए रेफर किया गया। शरीफ हसन की सभी चोटें दाहिने हाथ में पायी गयी। अगर दाहिने तरफ स्लिप करके कोई व्यक्ति घिसड़ जाये और दाहिने हाथ से बचाव करे तो इस लक्षण की चोटें आ सकती है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने अनुचित प्रभाव में चोटहिलों का आहत आख्या तैयार किया है।

15. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–5** चिकित्सक सी.वी.चौधरी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–24.12.2019 को जिला सरकारी अस्पताल,सिद्धार्थनगर के सिटी स्कैन विभाग के अपने कक्ष में मौजूद थे। चोटहिल साकिया पत्नी शरीफ हसन, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय का अपने नाम से पर्ची नम्बर 321974 बनवाकर उसके समक्ष सिर में लगे चोट के सम्बन्ध में प्रस्तुत होकर बतायी गयी। उसके द्वारा चोटहिल साकिया का सिटी स्कैन विभाग के टेक्निशियन से सिटी स्कैन कराकर रिपोर्ट तैयार किया गया था। सिटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर सिर में दाहिने तरफ सामने की ओर फ्रन्टल बोन में फैक्चर पाया गया। यह रिपोर्ट आनलाइन लखनऊ सेन्टर से मंगाया जाता है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह रिपोर्ट उसके द्वारा रेफर करने पर सिटी स्कैन करने के उपरान्त आनलाइन मंगाया गया। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था। कागज संख्या–8 क बाह्य रोगी टिकट उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, वह इसकी भी पुष्टि करता है। इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

15.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.5 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि आज के पूर्व उसने कागज संख्या–8 क/6 सिटी स्कैन रिपोर्ट का अवलोकन उसने नहीं किया था। प्रदर्श क–5 न तो उसके हस्तलेख में है और नही इस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श क–5 के चिकित्सक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने सिर्फ साकिया का सिटी स्कैन करने के लिए ओ.पी.डी. में रिफरेन्स नोट बनायी थी। इस पत्रावली में रिफर नोट नहीं है। वह सिटी स्कैन विभाग में जमा हो जाती है। उसने पूरे सिर की सिटी स्कैन कराने के लिए पर्चे पर बायें तरफ सिटी हेड लिखा है। साकिया स्वयं ओ.पी.डी. में आयी थी, उसे पुलिस द्वारा नहीं लाया गया था। सिर की चोट के सम्बन्ध में किसी चिकित्सक के द्वारा उसके पास रेफर नहीं किया गया था और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट ही उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। यह सिर की चोट के सम्बन्ध में गिरने से चोट आने की बात साकिया ने बतायी थी। उस आधार पर उसने सिटी स्कैन कराने की राय दी थी। मगर उसने इस पर्चे में गिरने से आयी सिर में चोट का तस्किरा नहीं किया है। उसने सिटी स्कैन में साकिया को चोट आने की बात नहीं लिखी है। शायद उसने उसे बताया होगा। तभी उसने सिटी स्कैन हेड लिखा है। साकिया ने उसे यह नहीं बताया था कि यह चोटें उसे मारने पीटने से आयी थी। प्रदर्श क–5 में अंकित चोटों के सम्बन्ध में उसने अधिकारिक रुप से पुलिस विवेचक को कोई बयान नहीं दिया था। यदि विवेचक ने उसके बयान में सिटी स्कैन रिपोर्ट से सम्बन्धित किसी

विशेषज्ञता का साक्ष्य अंकित किया हो तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने अनुचित प्रभाव में होकर बाह्य रोगी पर्चे पर सिटी स्कैन के बावत लिखा है। इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि यदि उसे साकिया की चोट पुलिस केस से होना ज्ञात होता तो वह उसका सामान्य निदान करता है, परन्तु सिटी स्कैन नहीं करता।

16. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–6** उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव, विवेचक ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक–21.12.2019 को थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उसी दिन मु.अ.सं.–187/2019, अन्तर्गत धारा–395 व 504 भा.दं.सं. में थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर पर दर्ज होकर उसे विवेचना प्राप्त करायी गयी। विवेचना ग्रहण कर दिनांक–21.12.2019 को कायमीकर्ता कां०मो० ओमप्रकाश यादव, वादी शरीफ हसन, मजरूब साकिया, मजरूब सिराज अहमद का बयान अंकित किया। तत्पश्चात वादी व मजरूबान की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया और एक नक्शा नजरी तैयार किया, जो कागज संख्या–7 क शामिल पत्रावली है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में हैं। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। तत्पश्चात चश्मदीद साक्षी कैशरून्निशा, अबरून्निशा, स्वतंत्र साक्षी मो०फजील, मो०सई, हिदायत अली व राहत हुसैन का बयान अंकित किया। अब तक की विवेचना में धारा–395 भा.दं.सं. का होना नहीं पाया गया तथा उसे विलोपित कर धारा–147, 148, 323 की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनाँक–23.12.2019 को मजरूब साकिया, मजरूब सिराज अहमद, मजरूब शरीफ हसन के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें मजरूब शरीफ हसन को फ्रैक्चर का होना पाकर धारा–325 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, मजरूबान व गवाहान तथा अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट, निरीक्षण घटना स्थल से अभियुक्तगण के विरुद्ध जुर्म धारा–147, 148, 323, 504, 325 भा.दं.सं. का आरोप साबित पाकर न्यायालय प्रेषित किया गया। दिनाँक–24.01.2020 को वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने उपस्थित होकर चोटहिल साकिया का मेडिकल रिपोर्ट व सिटी स्कैन रिपोर्ट तथा प्लेट संलग्न कर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें साकिया के सिर में फ्रैक्चर पाया गया था, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में क्षेत्राधिकारी महोदय, इटवा के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों को मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में समाहित करने हेतु सी.सी.टी.एन.एस. पोर्टल पर केस रीओपन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना हेतु आदेश कार्यालय से दिनाँक–16.02.2020 को प्राप्त हुआ, जिसके अनुक्रम में दिनाँक–16.02.2020 को मजरूबा साकिया का सिटी स्कैन रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वादी शरीफ हसन, मजरूबा साकिया का मजीद बयान अंकित किया। अब तक की विवेचना में अभियुक्तगण के विरुद्ध जुर्मधारा–147, 148, 323, 504, 325, 308 भा.दं.सं. का अपराध बखूबी साबित पाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जो कागज संख्या–3 क/1 ता 3 क/7 शामिल पत्रावली है, जिसे उसके द्वारा स्वयं बोलकर सी.सी.टी.एन.एस. पर कम्प्यूटर आपरेटर से किता कराया गया है। इस पर उसका हस्ताक्षर बना हुआ है। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

16.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.6** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि इस मुकदमें के पूर्व वह एस.डी.एम. इटवा के आदेश पर क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके पर गया था। वह और लेखपाल मौके पर रास्ते की पैमाइश के लिए गये थे। पैमाइश के दौरान रास्ते की निशानदेही की गयी थी और उस पर खूंटा भी गाड़ा गया था। हम लोगों ने दोनों पक्षों को समझा–बुझाकर शांति व्यवस्था कायम कर धारा–107, 116 दं.प्र.सं. की कार्यवाही कर चालान प्रेषित की गयी। यह रास्ता शरीफ के मकान सहन जमीन से सटे पूरब स्थित है। उसने शरीफ हसन का बयान लिया था। साक्षी मजरूब सिराज अहमद ने भई अपने माता पिता के बयान को पुष्ट करते हुए उसे बयान दिया था कि जिस जमीन पर मिट्टी पाटी जा रही थी, वह सार्वजनिक रास्ता है। साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं आयी कि मिट्टी वादी के दरवाजे पर पाटी जा रही थी। शरीफ हसन को डॉक्टर के द्वारा एक्सरे के लिए रेफर किया गया था। साकिया को सिटी स्कैन के लिए रेफर नहीं किया गया था। शरीफ हसन की एक्स रे रिपोर्ट व साकिया की सिटी स्कैन की रिपोर्ट पर दिनाँक–24.12.2019 अंकित है। शरीफ हसन की चिट्ठी मजरूबी हे०मो० के द्वारा तैयार की गयी है। शरीफ हसन की एक्सरे के लिए थाने से होमगार्ड महेश कुमार की रवानगी हे०मो० द्वारा की गयी थी। उसने दिनाँक–20.01.2020 को प्रथम आरोप पत्र धारा–504, 147, 148, 323, 325 भा.दं.सं. के तहत अभियुक्तगण के विरुद्ध किता किया था। इस प्रथम आरोप पत्र के किता करने तक सिटी स्कैन रिपोर्ट व उसकी फिल्म प्राप्त नहीं हुई थी। उसने सिटी स्कैन रिपोर्ट तैयार करने वाले रेडियोलाजिस्ट डॉक्टर अनीश चौधरी का बयान विवेचना के दौरान अंकित नहीं किया है और न ही उसने टेक्निशियन का बयान विवेचना के दौरान लिया है। डॉक्टर सी.वी. चौधरी का बयान एक चिकित्सक होने के आधार पर व रिपोर्ट पर उनका नाम रिफर्ड फिजिशियन के रूप में अंकित होने के आधार पर लिखा था। उसी सिटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पपर व डॉक्टर के बयान पर उसने धारा–308 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी करके दूसरा आरोप पत्र प्रेषित किया है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने वादी मुकदमा के प्रभाव में आकर गम्भीर धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया है।

17. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–7** हे०कां०ओमप्रकाश यादव, (एफ.आई.आर. लेखक) ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–21.12.2019 को थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर में कां०मो० के पद पर तैनात था। उसी दिन सरीफ हसन पुत्र गुद्दर, निवासी केरवनिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर अपने साथ दो अन्य चोटहिल साकिया व सिराज को लेकर थाना उपस्थित आये और एक किता प्रार्थना पत्र दिया। मुताबिक तहरीर उसके द्वारा अपराध संख्या–187/2019, धारा–395 व 504 भा.दं.सं., थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर में मुकदमा कायम किया गया और तीनों मजरूबों का इलाज व डॉक्टरी मुआयना हेतु मजरूबी चिट्ठी बनाकर पी.एच.सी. खुनियांव भेजा गया। मुताबिक तहरीर अक्षरशः उसके द्वारा बोलकर सी.सी.टी.एन.एस. पर कम्प्यूटर आपरेटर कां०राहुल यादव से चिक एफ.आई.आर. व कायमी जी.डी. किता कराया गया और चिक एफ.आई.आर. पर तत्कालीन थानाध्यक्ष एस.आई. आलोक कुमार श्रीवास्तव से हस्ताक्षर बनवाया गया। कायमी जी.डी. कागज संख्या–6 क/3 को आज प्रमाणित कर उसके द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया है। कागज संख्या–4 क/1 चिक एफ.आई.आर. व

कागज संख्या–6क/3 कायमी जी.डी. संलग्न पत्रावली है। जो उसके द्वारा किता कराया गया है। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर क्रमशः कागज संख्या–4क/1 पर **प्रदर्श क–9** व कागज संख्या–6क/3 पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

17.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.7** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि वह पहले जी.डी. किता किया, फिर एफ.आई.आर. किता किया था। जी.डी. लिखने में पन्द्रह मिनट व एफ.आई.आर. लिखने में आधा घण्टा लगा था। वादी मुकदमा शरीफ हसन के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया था या नहीं, याद नहीं है। चिक एफ.आई.आर. पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि वह वादी मुकदमा के अनुचित प्रभाव में आकर मनमाने ढंग से जी.डी. व एफ.आई.आर. किता किया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–8** चिकित्सक राजीव रंजन (रेडियोलाजिस्ट) ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–24.12.2019 को वह जिला चिकित्सालय,सिद्धार्थनगर में रेडियोलाजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उसी दिन होमगार्ड महेश कुमार, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा चोटहिल शरीफ हसन पुत्र गुद्दर, ग्राम केरवनिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर के चिकित्साधिकारी सी.एच.सी. खुनियांव, जनपद सिद्धार्थनगर के रेफर करने पर एक्सरे हेतु प्रस्तुत किया गया। चोटहिल का पहचान स्वरूप गर्दन में बांयी तरफ काला तिल दर्ज कियागया। उसके द्वारा अपनी देखरेख में एक्सरे टेक्नीशियन से एक्सरे प्लेट संख्या–1178 पर चोटहिल शरीफ हसन के दाहिने अग्रबाहु व हथेली का एक्सरे कराया गया और एक्सरे प्लेट के आधार पर उसके द्वारा मेडिकोलीगल रिपोर्ट तैयार की गयी है। जिसमें दाहिने अग्राबाहु के अलना हड्डी में टूट (फ्रैक्चर) पायी गयी। जबकि हथेली में कोई फैक्चर नही पायी गीय। कागज संख्या–8क/8 मेडिकोलीगल रिपोर्ट शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह उसके द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। वह इसकी पुष्टि करताहै। इस पर प्रदर्श ग–11 डाला गया। एक्सरे प्लेट संख्या–1178 शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया इसी एक्सरे प्लेट नम्बर से उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी थी,जिसकी वह पुष्टि करता है। इस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

18.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.8** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि जिस समय उसने चोटहिल की चोटों का एक्सरे किया था, उस समय चोटें फ्रेश थी। जिस समय उसने शरीफ हसन का एक्सरे किया था, उस समय शरीफ हसन की उम्र 68 वर्ष थी। चोटहिल को किसी भी Hard object पर गिरने से भी फ्रैक्चर आ सकती है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इऩ्कार किया कि वह वादी मुकदमा से अनुचित लाभ लेकर रिपोर्ट झूठा तैयार किया है। इस बात से भी इन्कार किया कि उसके परीक्षण में फ्रैक्चर का कोई लक्षण नहीं है।

19. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–9** रजनीश कुमार वर्मा (सिटी स्कैन प्रभारी) ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि वह सिटी स्कैन इन्चार्ज जिला अस्पताल,सिद्धार्थनगर में कार्यरत है। प्रस्तुत मामले में चिकित्सक अनीश चौधरी (रेडियोलाजिस्ट) द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है, जो उसके रजिस्टर

07.11.2019 से 11.05.2020 तक में थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर समय 14.05 बजे सिटी स्कैन पूर्ण होने का समय व 13.47 रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। आज वह अपना मूल रजिस्टर लेके न्यायालय में उपस्थित है और दिनाँक–24.12.2019 के द्वितीय पेज की छायाप्रति सत्यापित करके न्यायालय में दाखिल कर रहा है। रिपोर्ट कागज संख्या–8 क/5 प्रदर्श क–5 व मूल रजिस्टर की छायाप्रति जिसके सत्यापित कर आज हस्ताक्षर बनाया है। कागज संख्या–84 क की पुष्टि करता है। कागज संख्या–84 क पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

19.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.9 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि वह सिद्धार्थनगर जिले में सिटी स्कैन इन्चार्ज के पद पर अगस्त 2020 से कार्यरत है। वह डॉक्टर अनीश चौधरी रेडियोलाजिस्ट के साथ न तो कभी कार्यरत रहा है और न ही उनके हस्तलेख को तथा न ही उनको जानता पहचानता है। आज जो वह कागज संख्या–84 क प्रदर्श क–12 दाखिल किया है, उसके कालम संख्या–19 को उसके कार्यालय के किस कर्मचारी के हस्तलेख में है, वह नहीं बता पायेगा। कागज संख्या–8 क/5 प्रदर्श क–5 यह रिपोर्ट आनलाइन होती है। इसलिए इस रिपोर्ट को मेडिकोलीगल के लिए मान्य नहीं है और यह फाइनल रिपोर्ट भी नहीं है। यह रिपोर्ट मात्र इलाज के लिए तैयार किया जाता है।

20. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी **डी.डब्लू.1** निरहू राम पुत्र सुखराज को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना हुए चार साल से ऊपर हुआ। गाँव के अजीज और उनके पड़ोसी सरकारी आदेश पर आम रास्ते में मिट्टी गिरा रहे थे। समय लगभग 11.30 बजे दिन में गाँव के शरीफ हसन, सफात, सिराज अहमद, फारूक और उनके रिश्तेदार लाठी डण्डा लेकर आये तथा मिट्टी गिराने से मना करते हुए अजीज के लड़के जावेद, अफरोज और उनकी माँ रोजा खातून तथा सैय्याद को मारने लगे। गांव के जब अमजद आदि वहाँ इकट्ठा होने लगे तो शरीफ हसन और उनके घर के लोग तथा रिश्तेदार व अजीज के घर पर धावा बोल दिये और वहाँ कुछ घरेलू सामान का नुकसान कर दिये। कुछ जेवर व नगदी सुना था कि वे लोग ले गये थे। गाँव की भीड़ को देखकरर सिराज, अफरोज अपनी मोटरसाइकिल पर अपने माँ–बाप को बैठा करके जाने लगे। उनके रिश्तेदार भी उसी पर दौड़ कर बैठना चाहे, जिससे सिराज वहीं पर मोटरसाइकिल लेकर गिर गये, जिससे उन लोगों को मोटरसाइकिल से गिरने से व मोटरसाइकिल से चोटें आयीं थीं। मुल्जिमान अमजद आदि ने शरीफ हसन और उनकी पत्नी व लड़के को मारे–पीटे नहीं थे।

20.1 अभियोजन पक्ष द्वारा **डी.डब्लू.1** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि यह मुकदमा शरीफ हसन ने किया है। इसमें मुल्जिम अमजद व अजीज आदि है। समय लगभग 11.00–12.00 बजे दिन का था। रास्ते के विवाद को लेकर शरीफ हसन व अमजद आदि में झगड़ा हुआ था। झगड़े के समय हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। झगड़ा में अभियुक्तगण रास्ते में मिट्टी गिरा रहे थे, जिसे शरीफ हसन रोक रहे थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मारपीट में शरीफ हसन के पक्ष के लोगों के पास ही लाठी डण्डा था और मुल्जिमान के हाथ में कोई लाठी डण्डा नहीं था। मौके पर जब वह पहुंचा तो वहाँ मुल्जिमान मौजूद थे और उनके हाथ में कोई डण्डा नहीं था और वे लोग मार खा रहे थे। मुल्जिमान जावेद,

अफरोज, रोजा व सैय्याद को चोट लगी थी। शरीफ हसन के तरफ से लोगों को मारने से चोट नहीं आयी थी, बल्कि मोटरसाइकिल से गिरने से चोटें आयीं थीं। झगड़ा शरीफ हसन के घर के पूरब हुआ था। मुल्जिमान व शरीफ उसके ही गाँव के हैं। झगड़े के बाद कौन–कौन लोग अस्पताल गये थे, वह नहीं जानता। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया कि वह मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।

निष्कर्ष

21. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद अली, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद अहमद व अफरोज आलम पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनाँक–21.12.2019 को किसी समय स्थान वहद ग्राम केरवनिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर में मारने–पीटने के सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव बनाकर लाठी, भाला, फरसा व कोयता से लैस होकर आपराधिक बल का प्रयोग करके बलवा करित कर वादी मुकदमा शरीफ हसन, उसकी पत्नी साकिया व उसके पुत्र सिराज अहमद को जान से मारने के ज्ञान व आशय सहित मारपीट कर साधारण व घोर उपहति कारित की, जिसके कारण चोटहिल साकिया के संवेदनशील अंग सिर में गम्भीर चोटें आयीं। यदि आप अभियुक्तगण के लाठी, डण्डा, भाला, फरसा व कोयता से मारने पीटने के कारण साकिया की मृत्यु हो जाती तो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा उन्हें भद्दी–भद्दी गालियाँ दीं ताकि इससे वे प्रकोपित होकर शांतिभंग करें या अन्य कोई अपराध कारित कर दें।

अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपनी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा तथा मूल्यांकन उपरोक्त आरोप के सन्दर्भ में किया जाएगा।

भा०दं०सं० की धारा–308 में प्रावधानित है कि "जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा,

और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों, दण्डित किया जाएगा।"

धारा–325 भा०दं०सं० में प्रावधानित है कि "उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।"

भा०दं०सं० की धारा–323 में प्रावधानित है कि "उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसको अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

भा०दं०सं० की धारा–504 में प्रावधानित है कि "जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

भा०दं०सं० की धारा–147 में स्पष्ट रुप से प्रावधानित है कि "जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

भा०दं०सं० की धारा–148 में प्रावधानित है कि "जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रुप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

धारा 149 भा०दं०सं० में प्रावधानित है कि "यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।"

22. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा यह मौखिक तर्क दिया जा रहा है कि अभियुक्तगण ने विधिविरुद्ध जमाव करके मारपीट नहीं की। सत्यता यह है कि वादी पक्ष ने ही पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण के साथ मारपीट की है, जिससे उन्हें चोटें आयी हैं। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.1 ने केवल तीन लोगों द्वारा हथियार लेकर मारपीट करने का साक्ष्य दिया है। बाकी अन्य साक्षीगण ने सामान्य कथन करते हुए यह कहा है कि सभी आरोपीगण ने लाठी डण्डा, कोयता, फर्सा व बरछा से मारपीट की है। चोटहिल साकिया की चोट घटना के चार दिन बाद फर्जी बनायी गयी है। चुनावी रंजिश को लेकर सभी आरोपीगण का नाम घटना में शामिल होना दर्शाया गया है। अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

23. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि अभियोजन साक्षीगण ने अभिसाक्ष्य से मामला साबित किया है। चोटहिल शरीफ हसन, साकिया उर्फ

साफिया तथा सिराज अहमद को मारने पीटने से चोटें आयी है। साकिया के सिर की पेराइटल बोन में फैक्चर पाया गया है। दोषसिद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

24. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू.1** शरीफ हसन ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा मे पेज 3 पर आखिरी पंक्ति में बयान में यह माना है कि जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर समय 12.00 बजे गया था तब आठों मुल्जिमान थाने पर मौजूद थे। मेरे समक्ष इससे सम्बन्धित क्रास केस सरकार बनाम शरीफ हसन, दण्डवाद संख्या–2456/2022, की प्रथम सूचना रिपोर्ट, तहरीर, चोटहिल को आयी चोटों की छायाप्रतियाँ व आरोप पत्र कागज संख्या–100ख/2 ता 8 दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित हो रहा है कि इस मामले के अभियुक्तगण द्वारा भी वादी मुकदमा शरीफ हसन आदि के विरुद्ध भी इसी दिन की घटना दिनाँकित–21.12.2019 का एक क्रास केस मारपीट का पंजीकृत कराया गया है, जिसका आरोप पत्र सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम., बांसी, सिद्धार्थनगर में आया है और इसी न्यायालय में विचाराधीन भी बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मामलें में क्रास केस दर्ज हुआ है, लेकिन इस मामले के क्रास केस का विचारण इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। इसलिए उस पर कोई अन्तिम निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है। इतना तो अवश्य है कि दिनाँक–21.12.2019 को समय 11.30 बजे दोपहर की मारपीट की घटना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को चोटें आयीं हैं। जैसा कि ऊपर आया है कि साक्षी पी.डब्लू.1 ने 8 मुल्जिमानों को थाने पर मौजूद होने का साक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने पेज 3 पर नीचे से पाँचवीं पंक्ति में प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में यह माना है कि उसके सात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है और यह रिपोर्ट अमजद आदि ने दर्ज करायी होगी। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसके विरुद्ध भी आरोपी अमजद ने मारपीट आदि करने के बावत उसी दिनाँक व समय को मुकदमा दर्ज करायी गयी है, लेकिन अभियोजन द्वारा आरम्भ में इस बात को नहीं माना जा रहा है कि इसका क्रास केस है और आरोपीगण मारपीट में चोटहिल हुए हैं।

25. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू.1** शरीफ हसन (चोटहिल), **पी.डब्लू.2** सिराज अहमद (चोटहिल) व **पी.डब्लू.3** साकिया उर्फ साफिया (चोटहिल) तथ्य के साक्षी के रुप में परीक्षित हुए हैं। इन सभी साक्षीगण ने घटना का दिनाँक व समय क्रमशः 21.12.2019 व 11.30 बजे दिन का बताया है और मारपीट का कारण यह बताया है कि वादी मुकदमा शरीफ हसन के घर के सामने कच्चा रास्ता है और उसी पर आरोपीगण मिट्टी पाट रहे थे, जब उन्हें मिट्टी पाटने से मना किया गया तो आरोपीगण हमजद उर्फ अमजद, झिन्नन, अब्दुल अजीज, सैय्याद, नुरूलहुदा, मुख्तार, राजू व अफरोज हाथ में लाठी–डण्डा व फर्सा लेकर आये और गाली गलौज करते हुए मारे पीटे, जिससे वादी मुकदमा शरीफ हसन, सिराज अहमद व साकिया उर्फ साफिया घायल हो गयी, जिनका मेडिकल परीक्षण किया गया। चोटहिल शरीफ हसन को जिला अस्पताल, सिद्धार्थनगर में एक्सरे हेतु रेफर किया गया, जबकि अन्य चोटहिलगण साकिया व सिराज अहमद को कोई जाहिरा गम्भीर चोट न पाये जाने के कारण उन्हें जिला अस्पताल, सिद्धार्थनगर में एक्सरे या विशेषज्ञ राय हेतु सन्दर्भित नहीं किया गया। प्रदर्शक–2 मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट साकिया, प्रदर्श क–3 मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट सिराज व प्रदर्श क–4 मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट शरीफ हसन को चिकित्सक साक्षी

पी.डब्लू.4 ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार करने का तथ्य साक्ष्य से साबित किया है। चोटहिल **शरीफ हसन** को चिकित्सीय परीक्षण के समय निम्न चोटें पायी गयी है।

दाहिने हाथ के हथेली के पृष्ठ भाग पर 1.5x2.0 सेमी. की खरोंच के निशान पाये गये, जो अंगूठे के पास थी। दाहिने हाथ की हथेली के पृष्ठभाग पर कलाई से 04.00 सेमी नीचे ऊँगली की तरफ मध्य में 2.00x01.00 सेमी. खरोंच के घाव पाये गये। दाहिने हाथ की हथेली के पृष्ठ पर ही मध्यमा ऊँगली के जोड़ पर 1.5x1.00 सेमी. खरोंच का घाव पाया गया। दाहिने हाथ की कलाई से 04.00 सेमी. ऊपर अन्दर की तरफ 01.00x01.00 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया। दाहिने हाथ की कलाई से ऊपर 07.00 सेमी. x 06.00 सेमी. का सूजन पाया गया, जिसे चोटहिल द्वारा काफी दर्द बताया गया। दाहिने हाथ की हथेली के पृष्ठ भाग पर 12.00x08.00 सेमी. का सूजन पाया गया, जिसमें भी चोटहिल द्वारा काफी दर्द बताया गया।

चोट संख्या–5 व 6 विशेषज्ञ राय के लिए जिला अस्पताल, सिद्धार्थनगर में रेफर कर दिया गया तथा एक्सरे के लिए भी सलाह दिया गया।

सिराज अहमद को चिकित्सीय परीक्षण के समय निम्न चोटें पायी गयी है।

भौंह से 9.5 सेमी. ऊपर सिर में बायीं तरफ 3.5x0.5 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया।

बायें हाथ के अंगूठे में दर्द की शिकायत पायी गयी। बाये स्केपुला के ऊपरी भाग में कन्धे के पास दर्द की शिकायत पायी गयी।

चोटहिल साकिया को चिकित्सीय परीक्षण के समय निम्न चोटें पायी गयी है।

भौंह से 08.00 सेमी. ऊपर सिर में दाहिने तरफ 5.5 सेमी. x 1.00 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया। बायें पैर की जाँघ में दर्द की शिकायत पायी गयी।

चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.4 ने साकिया को आयी चोटों को अपने जिरह में पेज 3 पर साधारण प्रकृति की बताया है और स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि उसे चोट संख्या 1 के लक्षण देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उस चोट को एक्सरे के लिए रेफर किया जाये। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि चोटहिल साकिया की चोटें दीवाल में लगे किसी कठोर सामान से टकराने से भी आ सकती है। इसी प्रकार इस साक्षी ने चोटहिल सिराज अहमद की चोटों को साधारण प्रकृति का बताया है तथा चोटहिल शरीफ हसन को चोटें दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग में पायी गयी। सभी ने जिरह में यह माना है कि यदि कोई व्यक्ति दाहिनी तरफ फिसल कर गिर जाये तो इस प्रकार की चोटें आ सकती है। इस मामले में साकिया की चोट को अभियोजन द्वारा गम्भीर बताया जा रहा है और इसी चोट के आधार पर मामले में धारा–308 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्लू.3 चोटहिल साकिया की चोट के आधार पर आरोप धारा–308 भा.दं.सं. पर दौरान बहस यह तर्क दिया जा रहा है कि चोटहिल साकिया की चोट संख्या–1 भौंह (Eyebrow) 08.00 सेमी. ऊपर सिर में दाहिने तरफ 5.5 x 1.00 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया है। इसी इन्जरी का सी.टी. स्कैन कागज संख्या–8क, प्रदर्श क–5 को चिकित्सक पी.डब्लू.5 सी.वी.चौधरी द्वारा साबित किया गया है। सी.टी. स्कैन रिपोर्ट के आधार पर सिर में दाहिने तरफ फ्रन्टल

बोन में फैक्चर पाया गया। इसलिए धारा–308 भा.दं.सं. का आरोप साबित हो रहा है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्ष्य के मूल्यांकन से स्पष्ट हो रहा है कि पी.डब्लू.4 चिकित्सक बृजभूषण ने मजरूबा साकिया का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुनियांव, सिद्धार्थनगर पर किया है, लेकिन इस साक्षी ने चोटहिल साकिया की मेडिकोलीगल रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के सम्बन्ध में यह कहा है कि चोट संख्या–1 सख्त कुन्दालय से पहुँचायी गयी है, लेकिन चोटों की प्रकृति साधारण है। अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी है। केवल दर्द की शिकायत बतायी गयी है। स्पष्ट है कि चिकित्सक पी.डब्लू.4 ने चोटहिल साकिया की चोटें सामान्य प्रकृति की बतायी है। इसलिए इस चोट के सम्बन्ध में विशेषज्ञ आख्या हेतु रेफर नहीं किया गया और न ही एक्सरे या सी.टी. स्कैन कराये जाने की सलाह दी गयी है। इस बिन्दु पर पी.डब्लू.5 चिकित्सक सी.वी.चौधरी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि चोटहिल साकिया संयुक्त जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में इलाज हेतु आयी थी और सिर की चोट के सम्बन्ध में सी.टी. स्कैन करवाया था। यह रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार करवायी गयी, जिसमें सी.टी. स्कैन रिपोर्ट के आधार पर सिर के दाहिनी तरफ सामने की ओर फ्रन्टल बोन में फैक्चर पाया गया है। सी.टी. स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श क–5 शामिल मिसिल है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने पेज 1 की नीचे की पंक्तियो में यह बयान दिया है कि वह न तो रेडियोलाजिस्ट का विशेषज्ञ है और न ही दिनाँक–24.12.2019 को उसकी डियूटी रेडियोलाजिस्ट डिपार्टमेन्ट में लगी थी। जिरह में पेज 2 की बीच की पंक्तियों में यह बयान दिया है कि चोटहिल साकिया स्वयं ओ.पी.डी. में आयी थी। उसे पुलिस लेकर नहीं आयी थी। सिर की चोट के सम्बन्ध में किसी चिकित्सक के द्वारा उसके पास रेफर नहीं किया गया था और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट ही उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। इस साक्षी ने आगे की पंक्तियों में यह महत्वपूर्ण बयान दिया है कि चोटहिल साकिया ने गिरने से सिर में चोट आने की बात बतायी थी तो उसी आधार पर उसने सिटी स्कैन कराने की राय दी थी। लेकिन इस साक्षी ने इस पर्चे में गिरने से आयी चोट का तस्किरा नहीं किया है और उसने सी.टी. स्कैन रिपोर्ट में भी साकिया को चोट आन्ने की बात नहीं लिखी है। शायद चोटहिल ने उसे बताया होगा, तभी उसने सी.टी. स्कैन हेड लिखा है। इस साक्षी ने आगे और भी स्पष्ट बयान देते हुए अन्तिम पंक्ति में कहा है कि चोटहिल साकिया ने उसे यह नहीं बताया था कि यह चोट उसे मारने–पीटने से आयी हैं। जिरह में पेज 3 पर प्रदर्श क–5 सी.टी. स्कैन रिपोर्ट के सम्बन्ध में विवेचक ने इस साक्षी पी.डब्लू.5 का बयान नहीं लिया था। यदि विवेचक ने उसके बयान में सी.टी. स्कैन रिपोर्ट से सम्बन्धित किसी विशेषज्ञता का साक्ष्य अंकित किया है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता। इसी पेज के अन्तिम पंक्ति में इस साक्षी ने स्पष्ट बयान दिया है कि यह कहना सही है कि यदि उसे साकिया की चोट पुलिस केस में होना ज्ञात होता तो वह उसका सामान्य निदान करता, परन्तु सीटी. स्कैन नहीं करता, परन्तु सी.टी. स्कैन नहीं करता।

26. इस बिन्दु पर आये साक्ष्य के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि सी.टी. स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श क–5 सी.टी. स्कैन दिनाँक–24.12.2019 को समय लगभग 03.30 बजे किया गया है जो पर्चा कागज संख्या–8क/4 पत्रावली पर है वह यद्यपि फोटो कापी है, जिसमें चिकित्सक पी.डब्लू.5 ने सी.टी. हेड अंकित

किया है। चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.5 सी.वी. चौधरी ने स्वयं यह साक्ष्य में माना है कि चोटहिल साकिया को पुलिस सी.टी. स्कैन कराने नहीं लायी थी, बल्कि वह स्वयं प्राइवेट ओ.पी.डी. में आयी थी और चोटहिल ने उसे मारपीट से चोटें आना नही बताया था और न ही चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.5 को पता होता कि साकिया का केस पुलिस केस है और यदि पुलिस केस होना ज्ञात होता अर्थात मारपीट में चोटे आना दर्शित होता तो वह सी.टी. स्कैन की सलाह नहीं देता। इससे स्पष्ट है कि इस साक्षी पी.डब्लू.5 ने ओ.पी.डी. में इलाज का पर्चा बनाया और सी.टी. हेड की सलाह दी। इस साक्षी ने सामान्य निदान करने हेतु उपचार किया है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अन्य चोटहिल साक्षी पी.डब्लू.1 शरीफ हसन को चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.4 बृजभूषण ने इस साक्षी के हाथ की चोट के लिए एक्सरे कराने की सलाह मेडिकल करते समय ही दी है। इससे जाहिर है कि यदि साकिया के सिर की हड्डी टूटी होती तो निश्चित रूप से उसे चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.4 विशेषज्ञ राय के लिए भी रेफर करते। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चोटहिल साकिया के सिर के दाहिने तरफ पेराइटल बोन में फ्रैक्चर आना अंकित है, वह फटा हुआ घाव है। आरोपी हमजद उर्फ अमजद द्वारा चोटहिल साकिया को फर्सा से मारने का साक्ष्य आया है। फर्सा एक तेज धारदार वाला हथियार होता है यदि फर्सा से कोई प्रहार किया जाये तो उससे फटा घाव नहीं आयेगा, बल्कि कटा घाव आना चाहिए। पुनः यह कि साकिया द्वारा प्राइवेट में घटना के चार दिन बाद सी.टी. स्कैन कराया गया है।

27. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.9 रजनीश कुमार वर्मा (सिटी स्कैन प्रभारी) साक्ष्य में प्रतिपरीक्षित हुए हैं। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि उसकी कम्पनी का HLL Life care L.T.D. का जिला अस्पताल, सिद्धार्थनगर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अनुबंध है। सिटी स्कैन करने के उपरान्त केस का फोटो उसके द्वारा सम्बन्धित रेडियोलॉजिस्ट को ऑनलाइन भेज दिया जाता है, जो डॉ०अनीश चौधरी (एम.डी. रेडियोलॉजिस्ट) द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज है। रिपोर्ट कागज संख्या-8क/5 प्रदर्श क-5 व मूल रजिस्टर की छायाप्रति पर उसके हस्ताक्षर है। कागज संख्या-84क प्रदर्श क-12 डाला गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी कहा है कि वह सिद्धार्थनगर जिले में अगस्त वर्ष 2020 से सिटी स्कैन इन्चार्ज के पद कार्यरत है। वह डॉक्टर अनीश चौधरी रेडियोलॉजिस्ट के साथ न तो कभी कार्यरत रहा है और न ही उनके हस्तलेख को जानता व पहचानता है। आज जो वह कागज संख्या-84क प्रदर्श क-12 दाखिल किया है, उसके कॉलम संख्या-19 को उसके कार्यालय के किस कर्मचारी के हस्तलेख में है, वह नहीं बता पायेगा। जिरह में पेज 2 पर अन्तिम पैराग्राफ में यह कहा है कि रिपोर्ट मेडिकोलीगल के लिए मान्य नहीं है और यह फाइनल रिपोर्ट भी नहीं है। यह रिपोर्ट मात्र इलाज के लिए तैयार की गयी है। इस साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन से स्पष्ट हो रहा है कि इस साक्षी की तैनाती अगस्त वर्ष 2020 की है, जबकि रिपोर्ट प्रदर्श क-5 दिनाँक-24.12.2019 को तैयार की गयी है। इससे जाहिर है कि यह साक्षी उस समय जनपद सिद्धार्थनगर में तैनात नहीं रहा है, जब यह रिपोर्ट बनी है। इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य प्रदर्श क-5 के सम्बन्ध में विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि यह रिपोर्ट मेडिकोलीगल के लिए नहीं है, मात्र इलाज के लिए है।

इसलिए दिनाँक–21.12.2019 को समय सायं 05.00 बजे जो घटना हुई है, उसमें चोटहिल साकिया को जो चोटें सिर में दाहिने तरफ जो पेराइटल बोन में फैक्चर आया है वह मारपीट के समय नहीं पहुँचायी गयी है, बल्कि यह चोट प्राइवेट में बनाई गयी प्रतीत हो रही है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से रिपोर्ट साबित नहीं हो रही है। कागज संख्या–5 क लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा शरीफ हसन ने यह तथ्य अंकित कराया है कि सभी अभियुक्तगण हमजद पुत्र मोबिन, झिन्नन पुत्र घूरे, अब्दुल अजीज पुत्र वकील, सैय्याद पुत्र लाल खां, नुरूलहुदा पुत्र मजीद, मुख्तार पुत्र लालखां, राजू पुत्र मुस्तफा व अफरोज पुत्र अजीज उसके घर के सामने विवादित जमीन में मिट्टी पटवाने की बात को लेकर फर्सा, लाठी, भाला व कोयता से उसे मारने लगे। जब उसकी पत्नी साकिया उसे बचाने आयी तो उसके सिर पर कोयता से मार दिये और जब उसका बड़ा लड़का सिराज अहमद आया तो उसे भी मारे–पीटे। अभियोजन साक्षी के रुप में परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.1 शरीफ हसन ने अपने साक्ष्य में इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि जब चोटहिल साकिया की सिर की चोट गम्भीर थी और सिर में दाहिने तरफ सामने की ओर फ्रन्टल बोन में फ्रैक्चर था तो उसे मेडिकोलीगल करने वाले डॉक्टर ने सिर की चोट के लिए एक्सरे व सी.टी. स्कैन क्यों नहीं रेफर किया गया और क्यों चोटहिल साकिया ने चिकित्सक पी.डब्लू.4 को नहीं बताया कि उसे सिर में जो गम्भीर चोट आयी है, वह आरोपीगण द्वारा मारने से आयी है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.3 साकिया साक्ष्य में प्रतिपरीक्षित हुई हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्त हमजद उर्फ अमजद ने उसे सिर में फरसा से मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया और काफी मात्रा में खून बह गया। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 सिराज साक्ष्य में परीक्षित हुआ है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी माँ (साकिया) को चोट लगने से सिर की हड्डी टूटी है। ऐसे में यह बात जाहिर हो रही है कि जब मारपीट की घटना हुई तो ही चोटहिल साकिया को फरसा व लाठी डण्डा की चोटें आयीं हैं, लेकिन जब घटना के तुरन्त बाद चोटहिलगण मेडिकल परीक्षण के लिए गये और चोटहिल साकिया का चिकित्सीय परीक्षण दिनाँक–21.12.2019 को समय–06.00 बजे सायं हुआ है तो चोटहिल साकिया के सिर में गम्भीर चोट नहीं पायी गयी। कदाचित इसीलिए उसे चिकित्सिक पी.डब्लू.4 ने एक्सरे व सी.टी. स्कैन के लिए सन्दर्भित नहीं किया।

28. बचाव पक्ष की ओर से दाखिल न्याय दृष्टांत **Shiv Raj Singh & Ors. Vs. State 2014(2) JIC 564 (All.)** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह मत अवधारित किया है कि "Penal Code, 1860, Sections 302 and 323–Acquittal–Cross–report from the side of the accused and the injuries of the accused not explained– Author of fatal injury could not be identified–Appeal dismissed."

29. न्याय दृष्टांत **Reoti & ors. Vs. State of U.P. 1998 JIC 430 (All.)** में माननीय न्यायालय ने यह मत अवधारित किया है कि "Penal Code, 1860, Section, 323/34 and 324/34–Cross case–prosecution not explained injuries of defence side Prosecution witnessess tried to change place of occurrence– Suppression of

genesis of occurrence–Defence side also not explained injuries sustained by prosecution–Defence version also untrue–Hence, Versions of both side cannot be accepted." प्रश्नगत मामले में इससे सम्बन्धित क्रास का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। पत्रावली में फेहरिस्त सबूत 94 ख से 95 ख प्रथम सूचना रिपोर्ट, 95 ख/4 तहरीर, 96 ख/2 चिकित्सीय परीक्षण आख्या अफरोज, 96 ख/4 मेडिकल रिपोर्ट सैय्याद, 69 ख/6 मेडिकल रिपोर्ट रोजा खातून, 97 ख/2 मेडिकिल रिपोर्ट रोजा खातून, 98 ख/2 मेडिकल रिपोर्ट जावेद अहमद, 99 ख/2 नक्शा नजरी घटना स्थल, 100 ख/2 आरोप पत्र प्रमाणित प्रतियाँ मु.अ.सं.–186/2019, धारा–506 व 323 भा.दं.सं. सरकार बनाम शरीफ हसन दाखिल की गयी है तथा 101 ख/2 स्थल ज्ञाप की छायाप्रति, 102 ख प्रार्थना पत्र कागज संख्या–103 ख तहसील दिवस में दिया गया प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व कागज संख्या–104 ख छायाप्रति प्रार्थना पत्र अमजद दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित हो रहा है कि इस मामले के वादीगण के विरुद्ध भी आरोपी पक्ष द्वारा इसी घटना के बावत मारपीट किये जाने का एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, लेकिन वह मुकदमा सिविल जज जू०डि०/जे.एम. बांसी, के न्यायालय मे विचाराधीन है। इस मामले में भी अभियोजन की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि आरोपी पक्ष को भी घटना में चोटें आयी हैं। चूँकि इसके साथ उस मामले का परीक्षण नहीं किया जा रहा, इसलिए क्रास केस होने के मामले में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

30. बचाव पक्ष की ओर से यह बहस की जा रही है कि इस मामले में 8 आरोपीगण हमजद उर्फ अमजद, झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, अब्दुल अजीज अहमद, सैय्याद उर्फ सज्जाद, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद, राजू उर्फ ईबाद व अफरोज आलम बनाये गये हैं और सभी के द्वारा लाठी–डण्डा, फर्सा व कोयता से मारपीट किया जाना कहा जा रहा है। लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में सिर में कोयता से मारने की बात लिखी गयी है, लेकिन जब अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा शरीफ हसन साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं तो उसने लाठी डण्डा व फर्सा तथा बोगदा से मारने पीटने का साक्ष्य दिया है। चोटहिल साकिया व सिराज को 1–1 चोट सिर में आयीं हैं तथा शरीफ हसन को 06 चोटें आना प्रदर्श क–4 में दर्शित है, वह सभी चोटें दाहिने हाथ में आयी है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्ष्य का गहन परिशीलन करने से यह बात साबित हो रही है कि चोटहिल वादी मुकदमा पी.डब्लू. 1 ने अपनी लिखित तहरीर में यह तथ्य अंकित नहीं कराया है कि किस आरोपी के हाथ में कौन–कौन सा हथियार था। लेकिन जब साक्ष्य में परीक्षित हुआ है तो इस साक्षी ने तीन केवल अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद के हाथ में फर्सा, अभियुक्त अजीज के हाथ में लाठी तथा अभियुक्त अफरोज के हाथ में बोगदा होने का साक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने अन्य आरोपीगण झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, सैय्याद उर्फ सज्जाद, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद व राजू उर्फ ईबाद के द्वारा मार पीट में प्रयुक्त हथियार का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 सिराज अहमद व पी.डब्लू. 3 साकिया उर्फ साफिया ने अभिसाक्ष्य में सभी आरोपीगण द्वारा लाठी डण्डा, फर्सा से मारपीट किये जाने का अभिसाक्ष्य दिया है। साक्षी पी.डब्लू. 2 ने जिरह के पेज 4 पर यह बयान दिया है कि चुनाव उसकी पत्नी लड़ी थी, वह उसका नाम नहीं बतायेगा। जो चुनाव जीती है, वह उनका नाम नहीं बतायेगा। उनका नाम

नूरून पत्नी मुसर्रफ उर्फ सरफुद्दीन है जो अमजद के मामा है और अमजद के भाई के ससुर भी है। इस प्रकार साक्षीगण के साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि आरोपीगण व वादी पक्ष के बीच प्रधानी के चुनाव की रंजिश है। रंजिश एक ऐसा हथियार है, जो विरोधी पक्ष को पस्त करने के लिए हथियार के रुप में प्रयोग किया जाता है, जिससे एक पक्ष का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए और उसे कोई चुनौती देने वाला न रहे। ऐसे में इस बात की प्रबल सम्भावना रहती है कि पुरानी रंजिश को लेकर कई बार मात्र विरोधी होने के नाते लोगों को घटना में सम्मिलित होना दर्शा दिया जाता है। जाहिर है कि आरोपीगण एक ही गाँव के हैं और उनमें से कुछ लोग दूसरे पक्ष के समर्थक होगें। ऐसे में मारपीट की घटना में सभी लोगों का नाम लिखाया जाना ज्यादा आसान हो जाता है। सत्यता यह होती है कि वे लोग मात्र विरोधी होते है, जो दूसरे गुट के लिए काम करते हैं। इस हस्तगत मामले में भी सभी आरोपीगण अलग–अलग परिवार के व्यक्ति है। चुनावी रंजिश चली आ रही है। ऐसे में सभी आरोपीगण का नाम घटना में दर्शाया गया है। पी.डब्लू. 1 साक्षी ने केवल तीन अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद, अजीज व अफरोज आलम द्वारा लिये गये हथियार से मारपीट करने का साक्ष्य दिया है और यही सच्चाई भी है। पी.डब्लू.2 सिराज अहमद व पी.डब्लू.3 साकिया उर्फ साफिया द्वारा सामान्य कथन किया गया है कि मारपीट की घटना में सभी आरोपीगण शामिल रहे हैं। साक्षी पी.डब्लू.3 साकिया उर्फ साफिया ने बयान में यह माना है कि उसे अभियुक्त हमजद उर्फ अमजद ने उसे फर्सा से मारा। इस प्रकार साक्ष्य से स्पष्ट है कि सभी आरोपीगण ने एक राय होकर घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव करके चोटहिल के साथ मारपीट नहीं की है।

31. अभियोजन द्वारा कैशरून्निशा व अबरुन्निशा को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि साक्षी पी.डब्लू. 1 शरीफ हसन ने इन दोनों को घटना में बीच बचाव करने हेतु आने और घटना देखने का साक्ष्य दिया है। अभियोजन की ओर से कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी पी.डब्लू.2 सिराज अहमद ने प्रतिपरीक्षा के पेज 2 पर यह बयान दिया है कि वह दोपहर 11.30 बजे कसुम्ही चौराहे पर अपनी मोटरसाइकिल से गया था और एक घण्टा बाद वापस आया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना दोपहर 11.30 बजे की बतायी गयी है और यह साक्षी 11.30 बजे कुसम्ही चौराहे पर चला गया और जहाँ से एक घण्टा बाद वापस आया। साक्षी पी.डब्लू. 2 ने अपनी जिरह में यह माना है कि अमजद (आरोपी पक्ष) के कुछ लोग खुनियांव अस्पताल गये थे, जहाँ पर उनकी डॉक्टरी उससे पहले हुई थी तथा इस साक्षी ने अभियुक्त अजीज को थाने पर भी देखने का साक्ष्य दिया है। इसके साक्ष्य से स्पष्ट है कि कथित मारपीट में आरोपी पक्ष को भी चोटें आयी हैं., वे लोग भी थाने पर गये हैं और मेडिकल परीक्षण भी करवाया है। साक्षी पी.डब्लू.3 साकिया ने अपनी मुख्य्य परीक्षा में मारपीट होने का समय और महीना वही बताया है, जो घटना का है। उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से मारपीट की घटना दिनाँक–21.12.2019 समय दोपहर 11.30 बजे होने की साबित हो रही है। मारपीट की घटना में केवल अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद, अब्दुल अजीज व अफरोज आलम ही शामिल रहे है। शेष आरोपीगण का नाम केवल आरोपीगण के पक्ष का होने के कारण घटना में संलिप्त दर्शाया गया है।

32. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य**

[(2009) 6 एस. सी. सी. 767 वाले मामले में उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया है "निष्पक्ष विचारण की अवधारणा के अंतर्गत यह आता है कि अभियुक्त, आहत और समाज के हितों का सामान्य आकलन किया जाना चाहिए और यह समाज ही है जो राज्य और अभियोजनकारी अभिक्रमों में कार्य करता है। समाज के हित की पूर्णतया अवहेलना इस रूप में नहीं की जानी चाहिए कि वह कोई अग्राह्य व्यक्ति है। यह विचार किया गया है कि न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास जीतना न्यायालयों का सदैव अभिभावी कर्तव्य है जिसे प्रायः विधि की सर्वोच्चता सही ठहराना और कायम रखने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। सम्यक् न्याय प्रशासन को सदैव एक निरंतर प्रक्रिया माना गया है जो किसी एक मामले को विनिश्चित करने तक सीमित नहीं है जो भविष्य में न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए उसकी सक्षमता की संरक्षा उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार उसके समक्ष मामले में की गई है। यदि दंड न्यायालय को न्याय करने के लिए कारगर भूमिका निभानी है, तब पीठासीन न्यायाधीश को सच्चाई का पता लगाने के लिए और दोनों पक्षकारों और समुदाय जिसके प्रति कर्तव्यबद्ध है के प्रति ऋजुता और निष्पक्षता से न्याय करने के लिए और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक विचारण बुद्धिमत्ता, सक्रिय रुचि और सभी सुसंगत सामग्रियों का पता लगाने में भागीदार बनकर मात्र दर्शक और अभिलेखन मशीन नहीं बना रहना चाहिए । दांडिक न्याय करने वाले न्यायालय कार्यवाहियों के दौरान तंग करने वाले या अन्यायपूर्ण आचरण के प्रति आंखें नहीं मूंद सकता, चाहे निष्पक्ष विचारण क्यों न संभव हो, परंतु निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के रूप में न्यायाधीशों की भूमिका का महत्व कम नहीं होना चाहिए।"

33. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का विधिक दृष्टान्त **<u>हंसराज शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट गवरमेंट ऑफ ए०सी०टी० ऑफ दिल्ली 2010 {1} सी० ए० आर०</u> <u>{सी0ए0डब्लू0} 83</u>** प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि "There is a growing tendency these days to take revenge from the husband, by implicating all his family members, by making allegations of general nature againgst all of them, though the husband alone may be responsible for the cruelty inflicted to the woman- The Courts, therefore, need to carefully analyze the evidence and need to separate the chalf from the grain so as to arrive at a just and fair conclusion."

34. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से आरोपीगण द्वारा एकराय होकर विधिविरुद्ध जमाव, घातक आयुध से सज्जित होकर किये जाने का साबित नहीं हो रहा है। घटना में केवल अभियुक्तगण हमजद उर्फ अमजद, अजीज व अफरोज आलम शामिल रहे है और इन्हीं के द्वारा चोटहिलों को लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटें पहुँचायी गयी हैं। अन्वेषण के दौरान आरोपीगण के कब्जे से कोयता, बोगदा व बरछा बरामद नहीं हुआ है। इससे जाहिर है कि मारपीट लाठी डण्डे से ही हुई है। अभियोजन साक्षीगण ने घटना की तिथि 21.12.2019 समय 11.30 बजे दिन का होना साक्ष्य से साबित किया है। मारपीट किये जाने का कारण भी दरवाजे पर मिट्टी गिराने को लेकर होना साक्ष्य से साबित है। अभियोजन साक्षीगण ने गाली गुप्ता देने का तथ्य साबित किया है। चोटहिल शरीफ हसन के हाथ में फैक्चर पाया गया है, जो आरोपीगण

हमजद उर्फ अमजद, अजीज व अफरोज आलम द्वारा मारपीट किये जाने से आया है। शेष आरोपीगण झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद व राजू उर्फ ईबाद द्वारा मारपीट किये जाने का तथ्य साबित नहीं हो रहा है। महज विरोधी होने तथा मौके पर उपस्थित होने के कारण रंजिशवश उनका नाम घटना में शामिल होना दर्शाया गया है। यदि सभी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर घातक आयुध से मारपीट की गयी होती तो चोटहिल साकिया व सिराज अहमद को मात्र एक–एक चोट ही न आती, बल्कि और भी चोटें आयी होती। इस प्रकार साक्ष्य से आरोपीगण हमजद उर्फ अमजद, अजीज व अफरोज आलम द्वारा मारपीट किया जाना साबित है उनके विरुद्ध धारा–323, 325 व 504 भा.दं.सं. का आरोप साबित हो रहा है। शेष आरोपीगण झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद व राजू उर्फ ईबाद पर आरोप धारा–147, 148, 308/149, 323, 325 व 504 भा.दं.सं. का युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है।

35. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू. 1** शरीफ हसन ने लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** में यह तथ्य अंकित कराया है कि मुल्जिमान द्वारा उसकी पत्नी साकिया के कान का झाला, नाक का कील नोच ले गये तथा 12 तोलें का सोने का चैन घर में घुसकर उठा ले गये। साक्षी पी.डब्लू. 2 सिराज अहमद ने भी इसी प्रकार का साक्ष्य दिया है। **पी.डब्लू. 3** साकिया उर्फ साफिया ने बयान में यह कहा कि सोने की चैन 3 तौले की, झाला 1 तोला मुल्जिमान द्वारा छीन लिया गया, जबकि प्रदर्श क–1 में सोने की चैन 12 तोले की अंकित है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि इससे सम्बन्धित कहे जा रहे क्रास केस की तहरीर मे वादी पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने और घर में घुसकर सामान उठा लेने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। दोनों ही मामलों में विवेचना में पुलिस ने सामान लूटे जाने का तथ्य नहीं पाया और धारा–395 भा.दं.सं. विलोपित करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

36. इस मामले में पुलिस द्वारा मारपीट के साथ आरोपीगण के विरुद्ध डकैती का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जबकि इस मामले के आरोपीगण द्वारा भी मारपीट करने व सामान उठा ले जाने का अभियोग वादीगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। जहाँ मारपीट हो रही हो वहाँ लोग मारपीट में भाग लेते हैं। घर में घुसकर सामान उठाने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन पुलिस द्वारा दोनों मामलों में दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा–395 भा.दं.सं. में मामला पंजीकृत किया गया है और दोनों मामलों में विवेचना में धारा–395 भा.दं.सं. का अपराध कारित होना नहीं पाया है। पुलिस को इस मामले में सचेत रहना चाहिए था और इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि मारपीट की घटना के साथ लूट/डकैती जैसे अभियोग का तथ्य पाये जाने पर प्रथमतः इसकी जाँच कर लेनी चाहिए थी, तभी गम्भीर अभियोगों में मामला पंजीकृत करना चाहिए था। पुलिस द्वारा सावधानी व सतर्कता नहीं बरती गयी, केवल तहरीर लेकर दोनों पक्षों के विरुद्ध मारपीट व डकैती डालने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। स्वाभाविक है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। लूट/डकैती का अपराध कारित नहीं हो रहा है।

37. बचाव पक्ष की ओर से **डी.डब्लू.1** निरहूराम साक्ष्य में परीक्षित हुए है। इस साक्षी ने आरोपीगण के पक्ष मे बयान दिया है कि सिराज अपने माँ बाप को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने लगा

और रास्ते में मोटरसाइकिल से गिरने से चोटें आयी हैं, मारने पीटने से चोटें नहीं आयी है। लेकिन जिरह में इस साक्षी ने वादी व आरोपीगण के मध्य झगड़ा होने का साक्ष्य दिया है। यह साक्षी आरोपीगण को बचाने हेतु आया है और जाहिर है ऐसे में वह आरोपीगण के पक्ष की बात करेगा, न कि वास्तविक घटना की। **डी.डब्लू. 1** साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह बात साबित हो गयी है कि आरोपीगण द्वारा रास्ते के विवाद में मिट्टी डालने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से मारपीट की घटना साबित हो रही है।

38. साक्ष्य के विश्लेषण से आरोपीगण हमजद उर्फ अमजद, अब्दुल अजीज व अफरोज आलम के विरुद्ध आरोप धारा– 323, 325 व 504 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध होने योग्य है, जबकि आरोप धारा–147, 148 व 308/149 भा.दं.सं. में दोषमुक्त होने योग्य है तथा शेष अभियुक्तगण झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद व राजू उर्फ ईबाद, आरोप धारा–147, 148 व 308/149, 323, 325 व 504 भा.दं.सं. में दोषमुक्त होने योग्य है।

39. आरोपीगण हमजद उर्फ अमजद, अब्दुल अजीज व अफरोज आलम को आरोप धारा–323, 325 व 504 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया जाता है तथा आरोप धारा–147, 148 व 308/149 में दोषमुक्त किया जाता है तथा शेष अभियुक्तगण झिन्नन उर्फ मुस्तकीम, सैय्याद उर्फ सज्जाक, नूरूलहुदा, मुख्तार अहमद व राजू उर्फ ईबाद आरोप धारा–147, 148 व 308/149, 323, 325 व 504 भा.दं.सं. में दोषमुक्त किया जाता है। दोषसिद्धगण जमानत पर है, इसलिए उनके प्रतिभू व बंधपत्र निरस्त किये जाते है और जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्धगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दोषसिद्धगण को दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच पश्चात पेश हो।

दिनांक–21.03.2024

(मो० शफीक)
अपर सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ.कोड यू.पी.6141

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मो० शफीक (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या––––1063/2021

सी०एन०आर०नं०–UPSD070000502021

राज्य बनाम 1. हमजद उर्फ अमजद अली पुत्र अब्दुल मोबिन

2. अब्दुल अजीज अहमद पुत्र मो० वकील

3. अफरोज आलम पुत्र अजीज अहमद

निवासीगण ग्राम केरवनिया, थाना मिश्रौलिया

जनपद सिद्धार्थनगर।

मु०अ०सं०–187/2019

अन्तर्गत धारा–323, 325 व 504 भा.दं.सं.

थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच पश्चात पेश हुई।

दोषसिद्धगण हमजद उर्फ अमजद, अब्दुल अजीज व अफरोज आलम न्यायिक अभिरक्षा में है।

दण्ड के प्रश्न पर सुयोग्य अधिवक्ता बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना।

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा दण्ड के बिन्दु पर यह कहा जा रहा है कि दोषसिद्धगण का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्धगण की किसी अभियोग में इसके पूर्व कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है और न ही कोई अभियोग ही पहले पंजीकृत हुआ है। आपसी विवाद में मारपीट हुई है। उनकी उम्र भी कम है। इसलिए कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया जा रहा है।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा दण्ड के बिन्दु पर यह तर्क दिया जा रहा है कि सामान्य मिट्टी पाटने के विवाद को लेकर मारपीट की गयी है, जिससे वादी पक्ष के लोगों को गम्भीर चोटें आयी है। इसलिए अधिकतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है, जिससे समाज में एक सन्देह जाये और आपराधिक मनोदशा पर अंकुश लग सके।

उपरोक्त तर्कों के आलोक में इस न्यायालय के अभिमत में यह पाया जाता है कि कच्चे रास्ते पर मिट्टी पाटने के विवाद को लेकर दोषसिद्धगण द्वारा मार पीट की गयी है, जिससे मजरूबान को चोटें आयी हैं और शरीफ हसन के हाथ में फैक्चर आया है। मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के अभिमत में दोषसिद्धगण हमजद उर्फ अमजद, अब्दुल अजीज व अफरोज आलम को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्धगण हमजद उर्फ अमजद अली पुत्र अब्दुल मोबिन व अब्दुल अजीज अहमद पुत्र मो० वकील, अफरोज आलम पुत्र अजीज अहमद, निवासी ग्राम केरवनिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर, सत्र परीक्षण संख्या 1063/2021 , धारा–323, 325 व 504 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

धारा–325 भा०दं०सं० के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 03–03 (तीन–तीन) वर्ष के कारावास व 3000–3000 (तीन–तीन) हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 1–1 (एक–एक) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा–323 भा०दं०सं० के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 01–01 (एक–एक) वर्ष के कारावास व 1000–1000 (एक–एक) हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 15–15 (पन्द्रह–पन्द्रह) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा–504 भा०दं०सं० के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 01–01 (एक–एक) वर्ष के कारावास व 1000–1000 (एक–एक) हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध को 15–15 (पन्द्रह–पन्द्रह) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएँ साथ–साथ चलेगीं।

दोषसिद्धगण द्वारा इस अभियोग में बिताई गई जेल अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्धगण को सजा भुगतने हेतु सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार, सिद्धार्थनगर भेजा जाए।

दोषसिद्धगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए।

दिनांक–21.03.2024

(मो० शफीक)
अपर सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ.कोड. यू.पी.6141

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक–21.03.2024

(मो० शफीक)
अपर सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ.कोड. यू.पी.6141